न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 35/23 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2023/73

उनवान

1. पुनिया देवी पत्नी भवानी सिंह उम्र करीब 45 वर्ष जाति ठाकुर निवासी लालौनी हार तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. आरती देवी पत्नी भवानी सिंह } जाति ठाकुर निवासी लालौनी हार तह0 बाडी, धौलपुर।
2. प्रांजल पुत्री भवानी सिंह }
3. कविता पुत्री जगदीश
4. जोगेन्द्र } पुत्र जगदीश
5. योगेन्द्र } पुत्र जगदीश
6. हेमन्त } पुत्र जगदीश
7. रामफूल पुत्र हरी सिंह } समस्त जाति जाट निवासीगण लालौनीहार तह0 बाडी जिला धौलपुर।
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिजौली जरिये शाखा प्रबन्धक।
9. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय धौलपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़ी दि0 14.06.23 मि.नं. 84/22 उनवानी आरती देवी बनाम पुनिया देवी।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री योगेश शर्मा व राजेन्द्र सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय दिनांक–27.03.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.23 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरणं के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी रैस्पो0 संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम लालौनी हार तहसील बाडी में वादी

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

व प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से काविज काश्त हैं। विवादित आराजी का अभी विभाजन नहीं हुआ है। अतः संयुक्त रूप से काश्त करने पर आये दिन फसल को लेकर झगडा फसाद हो जाता है। वादी रैस्पो0 संख्या 01 व 02 ने जब विवादित आराजी के विभाजन की बात कही तो वह साफ इंकारी हो गये। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जोन का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से प्राथमिक डिक्री कर दिया। जिससे क्षुब्ध होकर प्रातिवादी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काविले निरस्तनीय है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 07.06.2023 को प्रतिवादी का जवाब बन्द कर दिया व बिना साक्ष्य, जवाब, बहस व बिना तनकी बनाये अपीलाधीन आदेश से प्राथमिक डिक्री पारित कर दी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को प्रदर्श तक नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय में वकालतनामा सिर्फ एक पुनिया पत्नि भवानी सिंह का ही है। जबकि आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 01 से 06 तक का वकालतनामा प्रस्तुत होना अंकित है। इस प्रकार शेष प्रतिवादीयों को तो सुनवाई का मौका ही नहीं मिला। यदि शेष प्रतिवादियों पर सम्मन तामील हो चुके थे, तो उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जानी चाहिये थी। जवाब बन्द करने के बाद भी साक्ष्य व बहस का अधिकार नहीं दिया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये, पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट ने गुणावगुण पर कोई बहसं नहीं की गयी है। केवल प्रक्रियात्मक त्रुटि की बहस की गयी है। दावा विभाजन का है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज सभी खातेदारो को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। प्राथमिक डिक्री जो पारित की गयी है वह रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार ही की गयी है। अपीलाण्ट को सुनवाई का पूर्ण मौका दिया गया है। प्रकरण में अभी विभाजन प्रस्ताव आने हैं। यदि अपीलाण्ट को कोई आपत्ति है, तो वह विभाजन प्रस्तावो पर आपत्ति करने को स्वतंत्र हैं। अपील सिर्फ़ पुनिया ने की है एवं पुनिया का ही वकालतनामा है। अधीनस्थ न्यायालय में, शेष पक्षकारो ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं उठाई व स्वयं ने

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

जानबूझकर जवाव प्रस्तुत नहीं किया। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रही हैं एवं उनके द्वारा नियुक्त अभिभाषक ने दिनांक 07.06.2023 को जवाव पेश करने से मना कर दिया। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने मुताबिक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान के दर्ज हिस्सेनुसार तहसीलदार बाडी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गयी। अपीलाण्ट की आपत्ति है कि अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त पक्षकारो को सुनवाई का मौका नहीं दिया। परन्तु अपीलाण्ट पुनिया देवी के अतिरिक्त किसी भी पक्षकार ने अपीलाधीन आदेश की अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है एवं अपीलाण्ट पुनिया देवी अधीनस्थ न्यायालय में मय अभिभाषक उपस्थित रही हैं। शेष पक्षकारो के तामील अधीनस्थ न्यायालय में जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 हुयी है एवं उनकी डिलीवरी रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव अभी आने शेष हैं। अपीलाण्ट के पास विभाजन प्रस्तावो पर आपत्ति करने का समुचित अवसर उपलब्ध है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपीलाण्ट द्वारा केवल मात्र प्रकरण को देरी करने के उद्देश्य से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी हैं। जिसमें हम कोई बल नहीं पाते हैं। परन्तु हम यहाँ अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित करना उचित समझते हैं कि प्रकरण में स्वयं तहसीलदार को मौके पर जाकर एवं पक्षकारो की उपस्थिति में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का विभाजन करने हेतु पाबन्द किया जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को सुनवाई/आपत्ति का समुचित अवसर देते हुये, प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित करें।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.23 यथावत रखें जाते हैं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
आर.ए.एस.
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (कैम्प धौलपुर)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दीबानी)

(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर
व इजलास श्री मुनिदेव यादव (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्याः– अपील संख्या–35/2023 (223 आर.टी.एक्ट.)

1. पुनिया देवी पत्नी भवानी सिंह उम्र करीब 45 वर्ष जाति ठाकुर निवासी लालौनी हार तहसील बाडी जिला धौलपुर

.....अपीलांट ।

बनाम

1. आरती देवी पत्नी भवानी सिंह
2. प्रांजल पुत्री भवानी सिंह

जाति ठाकुर निवासी लालौनी हार तहसील बाडी जिला धौलपुर।

3. कविता पुत्री जगदीश
4. जोगेन्द्र
5. योगेन्द्र

पुत्र जगदीश

6. हेमन्त
7. रामफूल पुत्र हरी सिंह

समस्त जाति जाट निवासीगण लालौनीहार तहसील बाडी जिला धौलपुर।

8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिजौली जरिये शाखा प्रबन्धक।
9. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय धौलपुर।

.....रैस्पोडेन्ट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज० काश्त०अधि 1955 विरुद्ध आदेश न्याया० उपखण्ड अधिकारी बाड़ी दिनांक 14.06.2023 मु०न० 84/22 उनवानी आरती देवी बनाम पुनिया देवी ।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री सुरेन्द्र कुमार दूबे उपस्थित अभिभाषक अपीलांट मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अभिभाषक राजेन्द्र सिंह राणा एवं योगेश शर्मा मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2023 यथावत रखे जाते है।** बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....27.....माह.....03.....सन्.....2024..... को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....

औहदा.....भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

दस्तखत.....

मुहर

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)